



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223215
CG-DL-E-20112020-223215

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3669]

नई दिल्ली शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/कार्तिक 29, 1942

No. 3669]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

गृह मंत्रालय

(सीटीसीआर प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2020

का.आ. 4171(अ).—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2152(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2010 और का.आ. 2052(अ), दिनांक 9 जून, 2016 के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, सिवाय उन कार्यों के, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, केंद्रीय सरकार द्वारा खण्ड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, एतद्वारा रांची स्थित XVI अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त के न्यायालय को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने वाले अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उक्त उप-धारा (1) के उद्देश्य हेतु विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट करती है।

ऊपर उल्लिखित विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूरे झारखण्ड राज्य में होगा।

[फा. सं. 11011/06/2019/एनआईए (पार्ट-I)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CTCR DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2020

S.O. 4171(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the Central Government in supersession of the notifications of the Government of India, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2152(E), dated the 1st September, 2010 and S.O. 2052(E), dated the 9th June, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Jharkhand, hereby designates the Court of Additional Judicial Commissioner XVI, Ranchi, as the Special Court for the purpose of sub-section (1) of section 11 of the above said Act for the trial of the Scheduled Offences investigated by the National Investigation Agency.

The jurisdiction of the Special Court mentioned above shall extend throughout the State of Jharkhand.

[F. No. 11011/06/2019/NIA (Part-I)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.